



2026:AHC:12787

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34910/2025

मिस सुपारपोन

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: बबित कुमार, यादवेंद्र सिंह

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री आत्माराम नदिवाल, अधिवक्ता (जो श्री बबित कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से उपस्थित हैं), तथा विद्वान ए.जी.ए. श्री अमरदानफ यादव, विद्वान ए.जी.ए., को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, अभियुक्त-आवेदिका मिस सुपारपोन की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 78/2025, धारा 14-ए विदेशी अधिनियम, थाना सोनौली, जनपद महाराजगंज में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्ता एक विदेशी महिला है, जो निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। वह 07.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका थाईलैंड की निवासी है तथा उसके पास वैध पासपोर्ट एवं वीज़ा है। उसके कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। आगे यह कहा गया कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है, यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त इदू उर्फ वसीम अहमद को अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2025 को जमानत प्रदान की जा चुकी है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदिका को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में संभावित दंड की गंभीरता तथा उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के प्रभावित होने की आशंका एवं प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, तथापि मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत प्रदान किया जाना उपयुक्त है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदिका **मिस सुपारपोन** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदिका साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
2. आवेदिका किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।
3. आवेदिका अभियोजन गवाहों को प्रभावित/भयभीत नहीं करेगी तथा विचारण में सहयोग करेगी।
4. आवेदिका प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)